| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **खण्ड पीठ**<br>**श्री मुकेश कुमार शर्मा, सदस्य**<br>**श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य**<br><br>उपस्थित :– श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलार्थी<br>श्रीमती पूनम माथुर, उपराजकीय अभिभाषक<br>श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अभिभाषक प्रा0प0<br>आदेश 1 नियम 10 प्रस्तुतकर्ता<br><br>**निर्णय**<br><br>यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–4–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।<br><br>अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी तिजारा के समक्ष अपील ज्ञापन मे अंकित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत किया जिसे उपखंड अधिकारी तिजारा ने अपने निर्णय दिनांक 29–11–01 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे असन्तुष्ट हो कर अपीलांट वादी ने प्रथम अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहां प्रस्तुत की। अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 21–4–2004 द्वारा प्राथी अपीलांट के पक्ष में जारी स्थगन आदेश वेकेट कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। स्थगन प्रार्थना पत्र का प्रयोजन ही वादग्रस्त भूमि को दावे/अपील के निर्णय तक सुरक्षित रखना होता है, अगर वादग्रस्त भूमि को ही सुरक्षित नहीं रखा गया तो वाद/अपील में निर्णय क्या होगा। अपीलीय न्यायालय ने पूर्व में अपीलार्थी के पक्ष में अंतरिम स्थाई निषेधाज्ञा पारित की थी। स्थगन ने होने की स्थिति में प्रतिवादी प्रत्यर्थी विवादित आराजी को खुर्दबुर्द व मुंतकिल करने पर आमरा है। अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों को समझे बिना ही पूर्व में पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के को खारिज कर दिया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | विद्वान उप राजकीय अभिभाषक एवं अभिभाषक प्रत्यर्थी ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि प्रत्यर्थी विवादित भूमि के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें निषेधाज्ञा से पाबदं नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अपीलीय न्यायालय का आदेश अंतरिम है। अपीलीय न्यायालय के आदेश में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे।<br><br>विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। मिस्टी मिडोज प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर बसंत कुमार द्वारा जरिये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत आदेश 41 नियम 20–ए एवं आदेश 1 नियम 10 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उन्हें अपील में पक्षकार संयोजित किया जाता है।<br><br>अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी तिजारा ने अपने निर्णय दिनांक 29–11–01 द्वारा खारिज कर दिया। जिसकी अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहां प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 21–4–2004 द्वारा प्राथी अपीलांट के पक्ष में जारी पूर्व अंतरिम स्थगन आदेश वेकेट कर दिया। प्रत्यर्थीगण विवादित आराजी का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। उक्त वर्णित आधारों पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त किया है। अपील में अंकित विवादित आराजी के सबंध में पक्षकारान के मध्य विवाद है और निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुरूप पक्षकरान के हक, हकूक एवं स्वत्वों का विनिश्चयन लम्बी न्यायिक प्रक्रिया अनुसार मूल अपील के गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना अभी शेष है। वर्तमान अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0प0 में प्रथम दृष्ट्या कब्जा, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू को ही देखा जाना होता है। उक्त तथ्य को अपीलीय न्यायालय ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर विस्तृत विवेचन के साथ अपना आदेश पारित किया है। अपीलीय न्यायालय ने पूर्व अंतरिम स्थगन आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। ऐसी स्थिति में हस्तगत् अपील खारिज योग्य है। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | परिणामतः हस्तगत् अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। न्यायहित में न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर को आदेशित किया जाता है कि उनके समक्ष लम्बित अपील का निस्तारण दो माह में उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक रूपसे नियमानुसार गुणावगुण पर करे। जब तक उभय पक्ष विवादित आराजी के रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।<br><br>(आर.के.जायसवाल) सदस्य<br>(मुकेश कुमार शर्मा) सदस्य | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |